



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या-268 / 2015

दायर दिनांक:-08.02.2021

पीठासीन अधिकारी-श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. मोती पुत्र सोनी, जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील-रूपनगढ़, अजमेर।

----वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला-अजमेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92 (अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय


दिनांक-27.10.2021

यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर द्वारा इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित कि गई है कि अपीलांत/वादी को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणवगुण पर निर्णित करें। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सूचना हेतु नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षों के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान लिये गये। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चूंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नम्बर 61रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान में सिवायचक दर्ज है। इस कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी का लगातार कब्जा काश्त होने से तहसीलदार रूपनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे वादी को मौके से बेदखल नहीं करें एवं वादग्रस्त भूमि को वादी के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक-27.10.2021 को कैम्प कोर्ट नवां में लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।




उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ला दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास-श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं० 268/2015

1. मोती पुत्र सोनी, जाति जाट, निवासी रघुनाथपुरा तहसील-रूपनगढ, अजमेर।

-----वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला-अजमेर, राजस्थान।


-----प्रतिवादी

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88 92 (अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू-ब-रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 27.10.2021 को जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)